उत्तर प्रदेश सरकार

औद्योगिक विकास विभाग-2

संख्या : 1550/77-2-09-सम01(19)PS/09

लखनऊ : दिनांक : 02 जून 2009

कार्यालय-ज्ञाप

उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं प्रतिस्पर्धा के युग में प्रदेश में पूँजी निवेश को बढ़ावा देने में निजी क्षेत्र की भूमिका को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। इसके लिए औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति-2004 में उद्योगो के साथ-साथ सेवा क्षेत्र के उपक्रमो में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु मा. मंत्रिपरिषद के निर्णय से विस्तृत नीति बनायी गयी है। शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अधीन कार्यरत् उद्योगो एवं सेवा क्षेत्र के विकास से संबन्धित विभागों/विभागाध्यक्षों/निगम तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ नियमित रूप से निम्न बिन्दुओं पर विचार-विमर्श एवं की गयी कार्यवाही की समीक्षा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में स्टॉफ मीटिंग में की जायेंगी।

1. प्रदेश में पूँजी निवेश के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निर्धारित रणनीति पर विचार-विमर्श।
2. औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र की परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली नीतिगत समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु निर्णय लेना।

उपरोक्त स्टॉफ बैठक अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अधीन कार्यरत् विभागों यथा-औद्योगिक विकास विभाग, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलैक्ट्रॉनिक्स, श्रम विभाग, खादी ग्रामोद्योग विभाग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव एवं विशेष सचिव, के साथ प्रत्येक माह आयोजित करायी जायेगी। इसी प्रकार से प्रत्येक दो माह में एक बार औद्योगिक विकास विभाग से संबन्धित विभागों/निगमो/प्राधिकरण/विभागाध्यक्षों के साथ स्टॉफ बैठक आयोजित की जायेगी। इसी बैठक में मेगा एवं वृहत औद्योगिक इकाईयों एवं सेवा क्षेत्र के उपक्रमों को भी अपनी समस्यायें प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

यह भी निर्णय लिया गया है कि आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0 के स्तर पर परिक्षेत्रीय/अपर/संयुक्त निदेशक उद्योगो एवं महा प्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्रो के साथ आयोजित मासिक स्टॉफ बैठक में सुविधानुसार अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 अथवा प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग द्वारा भाग लिया जायेगा ताकि जिला एवं नगर स्तर पर औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने हेतु की गयी कार्यवाही में जो रूकावटें आ रही हैं उनके निराकरण हेतु स्टॉफ बैठक में ही निर्णय ले लिए जायेंगे

यह भी निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त स्टॉफ मीटिंग का सदस्य संयोजक विशेष सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 नामित किया जाता है। विशेष सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-2 द्वारा बैठक का एजेण्डा एवं कार्यवृत्त निर्गत करना तथा लिये गये निर्णयों के अनुपालन हेतु संबन्धित विभागो/निगमो/विभागाध्यक्षों एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणो द्वारा की गयी कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी।

उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(वी0के0 शर्मा)

संख्या : औ.वि.वि./77-6-09/— तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. औद्योगिक विकास विभाग के नियन्त्रणाधीन समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उ0प्र0 शासन यथा-औद्योगिक विकास विभाग, लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, श्रम विभाग, खादी ग्रामोद्योग विभाग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग/निदेशक हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0, खनिज एवं भूतत्व, उ0प्र0, श्रमायुक्त उ0प्र0, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0।
3. प्रबंध निदेशक, पिकप, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम, उ0प्र0 निर्यात निगम, उ0प्र राज्य खनिज निगम, उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम, उ0प्र0 स्पीनिंग मिल फेडरेशन, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गीडा, वीडा, सीडा, लीडा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड।
5. विशेष सचिव, औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
6. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

आज्ञा से-

(कैप्टन एस0के0 द्विवेदी)
विशेष सचिव